


पंकज कुमार आदि विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी आदि


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग04238-दो/14

जिला - आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-12-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, आगर-बड़ोद जिला आगर मालवा द्वारा जारी सूचनापत्र दिनांक 26.9.14/17.10.14 के विरुद्ध पेश की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अवैध कालोनी के संबंध में और उसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों को सूचनापत्र जारी किए हैं । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को इस प्रकरण के संबंध में विचाराधिकार नहीं है । अतः यह पुनरीक्षण अग्राह्य किया जाता है ।</p> <p>2- आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

५०५०

1 निग-01/2014

रि 4238- II/14

Order 11-11-14
श्री. श्री. सुधीर कुमार
उज्जैन
11-11-14

1. पंकज कुमार पिता घनश्यामदास अटल
उम्र 33 वर्ष निवासी जामा मस्जिद गल
आगर मालवा, जिला आगर संभाग
उज्जैन (म.प्र.)
2. नितिन कुमार पिता घनश्यामदास अटल
उम्र 41 वर्ष निवासी जामा मस्जिद गल
आगर मालवा, जिला आगर संभाग
उज्जैन (म.प्र.)
3. सुमीत कुमार पिता घनश्यामदास अटल
उम्र 34 वर्ष निवासी जामा मस्जिद गल
आगर मालवा, जिला आगर संभाग
उज्जैन (म.प्र.)

निगरानीकत

विरुद्ध

1. अनुविभागीय अधिकारी महोदय आगर
मालवा, जिला आगर (म.प्र.)
2. कलेक्टर महोदय शाजापुर जिला
शाजापुर (म.प्र.)

उति निगरानीकत

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

अनुविभागीय अधिकारी आगर द्वारा अपने स्वयं के पारित आदेश के विरुद्ध
अविधिक तरिके से की जा रही रिव्यु कार्यवाही क्रमांक/रीडर-1/2014/02 दिनांक
26.09.2014/17.10.2014 के विरुद्ध उससे दुखी होकर यह निगरानी सादर निम्नवत
प्रस्तुत है:-

